रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 2004/आषाढ़ 11, 1926
No. 280] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 2004/ASADHA 11, 1926

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2004

सा.का.नि. 395(अ).— केन्द्रीय सरकार, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (2003 का 39) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 5 जुलाई, 2004 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 7(3)-बी(डी)/2003]

एम. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2004

G.S.R. 395(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (39 of 2003), the Central Government hereby appoints the 5th day of July, 2004 as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 7(3)-B(D)/2003]

M. PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2004

सा.का.नि. 396(अ).— केन्द्रीय सरकार, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (2003 का 39) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2004 है ।

 (2) ये 5 जुलाई, 2004 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं .- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

 (क) "अधिनियम" से राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (2003 का 39) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) "स.घ.उ." से चालू कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद अभिप्रेत हैं ;

(घ) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. वार्षिक लक्ष्य.-

(1) धारा 4 की उपधारा (1) में दिए गए 31 मार्च, 2008 तक राजस्व घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ऐसे घाटे को ऐसी राशि से कम करेगी जो वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत या अधिक के समतुल्य हो ।

(2) केन्द्रीय सरकार राज्य वित्तीय घाटे को ऐसी राशि से कम करेगी जो वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत या उससे अधिक की समतुल्य राशि हो, ताकि राजवित्तीय घाटा 31 मार्च, 2008 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक तक कम किया जा सके ।

(3) केन्द्रीय सरकार वित्तीय वर्ष 2004-2005 से किसी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक की किसी राशि की प्रत्याभूति नहीं देगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए और पश्चात्वर्ती प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दायित्व (जिसमें वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी ऋण भी सम्मिलित है) सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत से अधिक ग्रहण नहीं करेगी, सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत की यह सीमा आनुक्रमिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम एक प्रतिशत कम की जाएगी ।

4. मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण और वृहत् आर्थिक रूप रेखा विवरण .-

केन्द्रीय सरकार द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांगों के साथ संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए अपेक्षित मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण और वृहत्त आर्थिक रूप रेखा विवरण क्रमशः प्ररूप च-1, च-2 और च-3 में होंगे ।

5. राजवित्तीय संकेतक .- (1) मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में निम्नलिखित राजवित्तीय संकेतकों की बाबत तीन वर्षों में चक्र लक्ष्य ऐसे होंगे, जो प्ररुप च-1 में दिए गए हैं, अर्थात् :-

(i) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा ;

(ii) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजवित्तीय घाटा ;

(iii) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व ; और

(iv) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय सरकार की कुल दायित्व ।

(2) प्ररूप च-2में राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण में वार्षिक लक्ष्य और बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्तियों और व्यय के रूझानों का निर्धारण करने के लिए अंशवार्षिक लक्ष्य भी होंगे ।

6. प्रकटन.- (1) केन्द्रीय सरकार, लोक हित में अपनी राजवित्तीय संक्रियाओं में और अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांग प्रस्तुत करते समय, निम्नलिखित का प्रकटन करेगी :-

(क) विहित राजवित्तीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित कर रहे या प्रभावित करने वाले लेखामानकों, नीतियों और व्यवहारों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन ।

(ख) प्ररूप घ-1 से घ-3 में प्राप्यों और प्रत्याभूतियों का विवरण ।

(ग) आस्तियों का प्ररूप घ-4 में विवरण ।

(2) उपनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांगे प्रस्तुत करने तक करना होगा ।

7. अनुपालन करवाने के लिए उपाय.-

वित्तीय वर्ष 2004-2005 से आंरभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही की समाप्ति पर धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्तियों और किए गए व्यय के रुखों की तिमाही की समीक्षा के निष्कर्षों से यह दर्शित होता है कि-

(i) कुल मिलाकर गैर उधार प्राप्तियां उस वर्ष के बजट प्राक्कलन के चालीस प्रतिशत से कम हैं ; या

(ii) उस वर्ष के लिए राजवित्तीय घाटा बजट प्राक्कलन के पैंतालीस प्रतिशत से अधिक है ; या

(iii) उस वर्ष के लिए राजस्व घाटा बजट प्राक्कलन के पैंतालीस प्रतिशत से अधिक है ,

तब,

(क) केन्द्रीय सरकार उस धारा की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित समुचित सुधारात्मक उपाय करेगी ; और

(ख) वित्त मंत्रालय का भारसाधक मंत्री, दूसरी तिमाही की समाप्ति के तुरंत पश्चात् के सत्र के दौरान उस धारा की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित रूप में किए गए सुधारात्मक उपायों ; वह रीति जिसमें अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों का वित्तपोषण किए जाने का प्रस्ताव है और उस वित्तीय वर्ष के राजवित्तीय घाटे के लिए संभावनाओं का ब्यौरा देते हुए संसद् के दोनों सदनों में कथन करेगा ।

IndiaCode

प्ररूप-च-1

(नियम 4 देखिए)

मध्यम कालिक राजवित्तीय नीति विवरण

क. राजवित्तीय संकेतक-चालू लक्ष्य

	चालू वर्ष संशोधित प्राक्कलन	आगामी वर्ष का लक्ष्यः बजट प्राक्कलन, वर्ष	अगले दो वर्षों के लिए लक्ष्य	
			वर्ष + 1	वर्ष + 2
1. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा				
2. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजवित्तीय घाटा				
3. घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व				
4.सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया दायित्व				

IndiaCode

ख. राजवित्तीय संकेतकों में निहित धारणा :

1. राजस्व प्राप्तियां-

 (क) कर राजस्व - क्षेत्रीय और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दरें

 (ख) गैर कर राजस्व - नीतिगत स्थिति

 (ग) राज्यों को न्यागमन -वित्त आयोग

2. पूंजी प्राप्तियां -ऋण स्टाक, प्रतिसंदाय, नए ऋण और नीतिगत स्थिति

 (क) उधारों की वसूली

 (ख) अन्य प्राप्तियां

 (ग) उधार-लोक ऋण और अन्य दायित्व

3. कुल व्यय- नीतिगत स्थिति

 (क) राजस्व लेखा

 (i) ब्याज के संदाय

 (ii) मुख्य सहायकी

 (iii) अन्य

(ख) पूंजी लेखा

(i) उधार और अग्रिम

(ii) पूंजी परिव्यय

4. सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि

ग. निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का निर्धारण-

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन- मध्यम कालिक राजवित्तीय विवरण में उसे प्राप्त करने के लिए अपेक्षित परिवर्तनों के निर्धारण सहित चालू वर्ष और पश्चात्वर्ती दो वर्षों के लिए कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा । इसमें गैर कर राजस्व और उससे संबद्ध नीतियों का उल्लेख किया जाएगा । राजस्व प्राप्तियां जिसके अंतर्गत उधार और अन्य दायित्व भी हैं का निर्धारण बनाई गई नीतियों के अनुसार किया जाएगा । विवरण में सकल घरेलू उत्पाद के लिए प्रक्षेपण भी दिया जा सकेगा और संकेतकों में निहित धारणाओं के आधार पर उसका उल्लेख किया जाएगा । योजना और गैर योजना दोनों राजस्व लेखा पर व्यय भी संपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित उपायों पर विशिष्ट महत्व देकर किया जा सकेगा ।

(ii) पूंजी प्राप्तियों का प्रयोग जिसके अंतर्गत उत्पादक आस्तियों के जनन के लिए बाजार उधार सम्मिलित है । मध्यम कालिक नीति विवरण में विभिन्न प्रवर्गों में उत्पादक आस्तियों के जनन के लिए पूंजी प्राप्तियों का प्रस्तावित प्रयोग विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा । इसमें इन प्रवर्गो के बीच प्रस्तावित परिवर्तनों का भी उल्लेख किया जा सकेगा और राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरकार की संपूर्ण नीति के निबंधनों में उल्लेख भी किया जा सकेगा ।

प्ररूप च- 2

[नियम 4 देखिए]

राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण

क— राजवित्तीय नीति का विहंगावलोकन— [इस पैरा में वर्तमान में प्रचलित राजवित्तीय नीति का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया जाएगा ।]

ख— आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजवित्तीय नीति— [इस पैरा में निम्नलिखित से संबंधित पांच उपपैरा होंगे-

(1) कर नीति

कर नीति से संबंधित उपपैरा में आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में पुरःस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख किया जाएगा । इसमें आयकर छूट सीमा और प्रति व्यक्ति आय से उसका कितना संबंध है, कर छूट विषयक सिद्धांत और छूट के लिए लक्ष्य समूह का निर्धारण होगा ।

(2) व्यय नीति

व्यय नीति के अधीन व्यय के आबंटन में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन उपदर्शित किए जाएंगे । इसमें हितधारियों के फायदे और लक्ष्य समूह विषयक सिद्धांतों का निर्धारण भी होगा ।

(3) सरकार के उधार, उधार देना और विनिधान

सरकार के उधारों से संबंधित इस उपपैरा में आतंरिक ऋण, बाह्य ऋण, सरकार के उधार देने, विनिधान और अन्य क्रियाकलाप ; जिसके अंतर्गत औसत परिपक्वता संरचना, प्रतिसंदायों के समूह आदि से संबंधित नीति उपदर्शित की जाएगी ।

(4) आकस्मिक और अन्य दायित्व

आकस्मिक और अन्य दायित्वों और विशिष्टतया ऐसी प्रतिभूतियों, जिनमें संभाव्य बजट विवक्षाएं हों, पर नीति में कोई परिवर्तन उपदर्शित किया जाएगा ।

(5) प्रशासित माल का मूल्यांकन

प्रशासित उत्पाद के मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत बाजार आधारित सिद्धांतों के लेखे वृद्धि भी है, में प्रस्तावित किसी परिवर्तन का उल्लेख किया जाएगा ।]

ग- आगामी वर्ष के लिए योक्तिक पूर्विकताएं

[(1) कर, गैर कर और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संसाधन गतिशीलता का उल्लेख किया जाएगा ।

(2) आगामी वर्ष के दौरान व्यय प्रबंध में निहित व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया जाएगा ।

(3) आगामी वर्ष के दौरान प्रस्तावित लोक ऋण के प्रबंध से संबंधित पूर्विकताएं उपदर्शित की जाएगीं ।]

घ : नीतिगत परिवर्तनों के लिए युक्ति संगतता :

[(1) आगामी बजट में प्रस्तावित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की बाबत मध्यम कालिक राजकित्तीय नीति विवरण से संगत नीतिगत परिवर्तनों के लिए युक्तिसंगतता का उल्लेख किया जाएगा ।

(2) बजट व्यय जिसके अंतर्गत सहायकी पर व्यय भी हैं, की बाबत मुख्य नीतिगत परिवर्तनों के लिए युक्तिसंगतता उपदर्शित की जाएगी ।

(3) लोक ऋण के प्रबंध में प्रस्तावित परिवर्तनों, यदि कोई हो, के लिए युक्तिसंगतता उपदर्शित की जाएगी ।

(4) प्रशासित माल के मूल्यांकन की बाबत प्रस्तावित परिवर्तनों, यदि कोई हों, के लिए आवश्यकता का उल्लेख किया जाएगा ।]

ङ : आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य

[दूसरी तिमाही की समाप्ति पर, वर्ष के मध्य का निर्धारण, प्राप्तियों और व्ययों में और बजट प्राक्कलन के संबंध में घाटे में कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रवृत्ति से किया जाएगा । यदि गैर ऋण प्राप्तियां उस वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन के 40 प्रतिशत से कम है ; या राजकित्तीय घाटा उस वर्ष के लिए बजट प्राक्कलनों के 45 प्रतिशत से अधिक है ; या राजस्व घाटा उस वर्ष के बजट प्राक्कलनों के 45 प्रतिशत से अधिक है तो केन्द्रीय सरकार धारा 7 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन यथापेक्षित कार्रवाई करेगी ।]

च : नीति मूल्यांकन :

[इस पैरा में राजवित्तीय घाटा में कमी और मध्यम कालिक राजवित्तीय नीति विवरण में उपवर्णित उद्देश्यों के प्रतिनिर्देश से आगामी वर्ष के लिए राजवित्तीय नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों का मूल्यांकन अंतर्विष्ट होगा ।]

प्ररूप च-3
(नियम 4 देखिए)

बृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण

1. **अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन–** [इस पैरा में वृद्धि दर, कीमत, उत्पादन, बाह्य क्षेत्र, धन और पूंजी बाजार में रुझान का संक्षिप्त विश्लेषण होगा । मुख्य बृहत आर्थिक संकेतकों पर सूचना उपाबद्ध फार्मेट में प्रस्तुत की जाएगी ।]

2. **सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि–** [इस पैरा में संपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और उसकी क्षेत्रीय संरचना में रुझान का विश्लेषण होगा ।]

3. **बाह्य क्षेत्र–** [इस पैरा के अधीन निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा आरक्षितियों, चालू लेखा अतिशेष और संदायों के अतिशेष में रुझान का उल्लेख किया जाएगा ।]

4. **धन, बैंककारी और पूंजी बाजार–** [इस पैरा में धन पूर्ति, बैंक निक्षेप और जमा और पूंजी बाजार के विकास में रुझान का लेखा प्रस्तुत किया जाएगा ।]

5. **केन्द्रीय सरकार वित्तपोषण–** [इस पैरा के अधीन राजस्व संग्रहण और व्यय में रुझान का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा । महत्वपूर्ण राजवित्तीय घाटा और ऋण संकेतकों में रुझान का भी उल्लेख किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार वित्तपोषण में रुझान को संलग्न फार्मेट में प्रस्तुत किया जाएगा ।]

6. **संभावनाएं–** [पूर्ववर्ती धाराओं में प्रस्तुत मुख्य क्षेत्रों में रुझान पर आधारित निर्धारण अंतर्निहित धारणाओं के साथ-साथ वृद्धि की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।]

IndiaCode

प्ररूप च-3 (जारी)
बृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण
आर्थिक अनुपालन एक दृष्टि में

क्रम सं0	मद	पूर्ण मूल्य		परिवर्तनों का प्रतिशत	
		अप्रैल - रिपोर्ट करने की अवधि*		अप्रैल - रिपोर्ट करने की अवधि*	
		पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष
	यर्थाथ सेक्टर				
1	घटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद				
(क)	चालू कीमत पर				
(ख)	वर्ष 1993-94 की कीमत पर				
2	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक				
3	थोक मूल्य सूचकांक (अंक दर अंक)				
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक				
5	घन पूर्ति (एम 3)				
6	चालू कीमत पर आयात				
(क)	रुपए करोड़ में				
(ख)	अमरीकी डालर दस लाख में				
7	चालू कीमत पर निर्यात				
(क)	रुपये करोड़ में				
(ख)	अमरीकी डालर दस लाख में				
8	व्यापार अतिशेष				
9	विदेशी विनिमय आस्तियां				
(क)	रुपये करोड़ में				
(ख)	अमरीकी डालर दस लाख में				
10	चालू खाता अतिशेष				
	सरकारी वित्त पोषण				
1.	राजस्व प्राप्तियां				
2.	कर राजस्व (शुद्ध)				
3.	कर बिना राजस्व				
4.	पूंजी प्राप्तियां (5+ 6 +7)				
5.	ऋणों की वसूली				
6.	अन्य प्राप्तियां				
7.	उधार तथा अन्य दायित्व				
8.	कुल प्राप्तियां (1+ 4)				
9.	गैर योजना व्यय				
10.	राजस्व लेखा जिसका:				
11.	ब्याज संदाय				
12.	पूंजी लेखा				
13.	योजना व्यय				
14.	राजस्व लेखा				
15.	पूंजी लेखा				
16.	कुल व्यय (9+ 13)				
17.	राजस्व व्यय(10+14)				
18.	पूंजी व्यय (12+15)				
19.	राजस्व घाटा (17-1)				
20.	राजवित्तीय घाटा [(16-(1+5+6))]				
21.	बुनियादी घाटा (20-11)				

* आंकड़े उस अवधि से संबंधित होंगे जिस तक चालू वर्ष के लिए सूचना उपलब्ध है । तुलना को सुकर बनाने के लिए चालू वर्ष के आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष की उसी अवधि के आंकड़ों के अनुरूप हैं । तदनुसार विभिन्न मदों के लिए रिपोर्ट करने की अवधि भिन्न हो सकेगी ।

IndiaCode

प्ररूप घ - 1
(नियम 6 देखें)

राजस्व कर परंतु वसूला नहीं गया,
(मुख्य कर)

(रिपोर्टगत वर्ष की समाप्ति के अनुसार)

		विवाद के अधीन रकम (रु0 करोड़ में)					विवाद रहित रकम (रु0 करोड़ में)					
मुख्य मद	वर्णन	1 वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	योग	1 वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	योग	कुल योग
	आय और व्यय पर कर											
0020	निगम कर											
0021	निगम कर से भिन्न आय पर कर											
	वस्तुओं और सेवाओं पर कर											
0037	सीमा शुल्क											
0038	संघ उत्पाद शुल्क											
0044	सेवा कर											
	योग											

टिप्पणः रिपोर्टगत वर्ष उस वर्ष से जिसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांग रखी गई हैं, दो वर्ष पीछे का वर्ष होगा ।

IndiaCode

प्ररूप घ - 2
(नियम 6 देखें)

अराजस्व कर का बकाया

(रिपोर्टगत वर्ष की समाप्ति के अनुसार)

वर्णन	लम्बित रकम (रुपये करोड़ में)				
	0से 1 वर्ष	1से 2 वर्ष	2से 3 वर्ष	5वर्ष से अधिक	योग
राजवित्तीय सेवाएं ब्याज प्राप्तियां राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से रेलवे से विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम से पब्लिक सेक्टर और अन्य उपक्रमों से **लाभांश और लाभ** (यदि कोई हो) **साधारण सेवाएं** पुलिस प्राप्तियां **आर्थिक सेवाएं** पेट्रोलियम उपकर/स्वामित्व संचार (अनुज्ञप्ति शुल्क) प्राप्तियां **अन्य प्राप्तियां** **योग**					

टिप्पणः रिपोर्टगत वर्ष उस वर्ष से जिसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांग रखी गई हैं, दो वर्ष पीछे का वर्ष होगा ।

IndiaCode

प्ररूप घ 3
(नियम 6 देखें)

सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

वर्ग (कोष्ठक के भीतर प्रत्याभूतियों की सं0)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूतित अधिकतम रकम (रु0 करोड़ में)	वर्ष के प्रारंभ में बकाया (रु0 करोड़ में)	वर्ष के दौरान परिवर्धन (रु0 करोड़ में)	वर्ष के दौरान विलोपन (मांगी गई से भिन्न) (रु0 करोड़ में)
1	2	3	4	5

वर्ष के दौरान मांगी गई (रु0 करोड़ में)		वर्ष की समाप्ति पर बकाया (रु0 करोड़ में)	प्रत्याभूति या फीस (रु0 करोड़ में)		अन्य तात्विक ब्यौरे
उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त की गई	
6	7	8	9	10	11

टिप्पण - उपर्युक्त तालिका में वर्ष उस वर्ष से जिसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांग रखी गई हैं, दो वर्ष पीछे का वर्ष होगा ।

IndiaCode

प्ररूप घ - 4

(नियम 6 देखें)

आस्ति रजिस्टर

	रिपोर्टगत वर्ष के प्रारंभ में आस्तियां	रिपोर्टगत वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां	रिपोर्टगत वर्ष के अंत में आस्तियों का संचयी योग
	लागत (रु0 करोड़ में)	लागत रु0 करोड़ में)	लागत (रु0 करोड़ में)
भौतिक आस्तियां : भूमि भवन कार्यालय रिहायशी सड़क पुल सिंचाई परियोजनाएं शक्ति परियोजनाएं अन्य पूंजी परियोजनाए मशीनरी और उपस्कर अन्य कार्यालय उपस्कर यान योग			
वित्तीय आस्तियां साम्या विनिधान शेयर बोनस शेयर उधार और अग्रिम राज्य और संघराज्य क्षेत्र सरकारों को उधार विदेशी सरकारों को उधार कंपनियों को उधार अन्य को उधार अन्य वित्तीय विनिधान कुल			

टिप्पण:-

(1) केवल दो लाख रु0 के प्रारंभिक मूल्य से अधिक की आस्तियां लेखबद्ध की जाएं ।

(2) प्रकटन कथन में मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष और आणविक ऊर्जा विभाग की आस्तियां सम्मिलित नहीं हैं ।

IndiaCode

(3) रिपोर्टगत वर्ष उस वर्ष से जिसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांग रखी गई हैं, दो वर्ष पीछे का वर्ष होगा ।

[फा. सं. 7(3)-बी(डी)/2003]
एम. प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2004

G.S.R. 396(E).— In exercise of the powers conferred by section 8 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (39 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement .-

(1) These rules may be called the Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the 5th day of July, 2004.

2. Definitions .- In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (39 of 2003);

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "GDP" means gross domestic product at current prices;

(d) "section" means a section of the Act;

(e) words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Annual targets .-

(1) In order to achieve the target of revenue deficit as set out in sub-section (1) of section 4, by the 31st day of March, 2008, the Central Government shall reduce such deficit by an amount equivalent to 0.5 per cent or more of the GDP at the end of each financial year, beginning with the financial year 2004-2005.

(2) The Central Government shall reduce the fiscal deficit by an amount equivalent to 0.3 per cent or more of the GDP at the end of each financial

2031 104-4

IndiaCode

year beginning with the financial year 2004-2005, so that fiscal deficit is brought down to not more than 3 per cent of GDP at the end of 31st day of March, 2008.

(3) The Central Government shall not give guarantees aggregating to an amount exceeding 0.5 per cent of the GDP in any financial year beginning with the financial year 2004-2005.

(4) The Central Government shall not assume additional liabilities (including external debt at current exchange rate) in excess of 9 per cent of GDP for the financial year 2004-2005 and in each subsequent financial year, the limit of 9 per cent of GDP shall be progressively reduced by at least one percentage point of GDP.

4. Medium Term Fiscal Policy Statement, Fiscal Policy Strategy Statement and Macro Economic Framework Statement .–

The Medium Term Fiscal Policy Statement, Fiscal Policy Strategy Statement and Macro-Economic Framework Statement required to be laid before both Houses of Parliament by the Central Government along with the annual financial statement and demands for grants shall be in Forms F-1, F-2 and F-3 respectively.

5. Fiscal Indicators .- (1) In the Medium Term Fiscal Policy Statement, three year rolling targets in respect of the following fiscal indicators shall be as given in Form F-1, namely;-

(i) revenue deficit as a percentage of GDP;

(ii) fiscal deficit as a percentage of GDP;

(iii) tax revenue as a percentage of GDP; and

(iv) total outstanding liabilities of the Central Government as a percentage of GDP.

(2) The Fiscal Policy Strategy Statement in Form F-2 shall also contain the intra-year benchmarks for assessing the trends in receipts and expenditure relating to annual targets and Budget Estimates.

6. Disclosures .– (1) In order to ensure greater transparency in its fiscal operation in the public interest, the Central Government shall, at the time of

presenting the annual financial statement and demands for grants, make disclosures of the following:-

(a) any significant change in accounting standards, policies and practices affecting or likely to affect the computation of prescribed fiscal indicators.

(b) statements of receivables and guarantees in Forms D-1 to D-3.

(c) a statement of assets in Form D-4.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall be complied with not later than with the presentation of the annual financial statement and demands for grants for the financial year 2006-2007.

7. Measures to enforce compliance .-

In case the outcome of the quarterly review of trends in receipts and expenditure, made under sub-section (1) of section 7, at the end of second quarter of any financial year beginning with the financial year 2004-2005 shows that –

(i) the total non-debt receipts are less than 40 per cent of Budget Estimates for that year; **or**

(ii) the fiscal deficit is higher than 45 per cent of the Budget Estimates for that year; **or**

(iii) the revenue deficit is higher than 45 per cent of the Budget Estimates for that year,

then, -

(a) as required under sub-section (2) of that section, the Central Government shall take appropriate corrective measures; and

(b) as required under sub-section (3) of that section, the Minister-in-charge of the Ministry of Finance shall make a statement in both Houses of Parliament during the session immediately following the end of the second quarter detailing the corrective measures taken, the manner in which any supplementary demands for grants are proposed to be financed and the prospects for the fiscal deficit of that financial year.

IndiaCode

Form F-1
[See rule 4]

MEDIUM TERM FISCAL POLICY STATEMENT

A. Fiscal Indicators – Rolling Targets

	Current Year Revised Estimates	Ensuing year Target: Budget Estimates Y	Targets for next Two years	
			Y + 1	Y + 2
1. Revenue Deficit as percentage of GDP				
2. Fiscal Deficit as percentage of GDP				
3. Tax Revenue as percentage of GDP				
4. Total Outstanding Liabilities as percentage of GDP				

B. Assumptions underlying the Fiscal Indicators -

1. Revenue receipts

 (a) Tax-revenue – Sectoral and GDP growth rates
 (b) Non-tax-revenue – Policy stance
 (c) Devolution to States – Finance Commission

2. Capital receipts – Debt stock, repayment, fresh loans and policy stance

 (a) Recovery of loans
 (b) Other receipts
 (c) Borrowings – Public Debt and Other Liabilities

3. Total expenditure – Policy Stance

 (a) Revenue account
 (i) Interest payments
 (ii) Major subsidies
 (iii) Others
 (b) Capital account
 (i) Loans and advances
 (ii) Capital outlay

4. GDP Growth

C. Assessment of sustainability relating to -

(i) The balance between revenue receipts and revenue expenditure. The Medium Term Fiscal Policy Statement may specify the tax-GDP ratio for the

IndiaCode

current year and subsequent two years with an assessment of the changes required for achieving it. It may discuss the non-tax revenues and the policies concerning the same. An assessment of the capital receipts may be made, including the borrowings and other liabilities, as per policies spelt out. The statement may also give projections for GDP and discuss it on the basis of assumptions underlying the indicators. Expenditure on revenue account, both plan and non-plan, may also be made with particular emphasis on the measures proposed to meet the overall objectives.

(ii) The use of capital receipts including market borrowings for generating productive assets. The Medium Term Policy Statement may specify the proposed use of capital receipts for generating productive assets in different categories. It may also spell out proposed changes among these categories and discuss it in terms of the overall policy of the Government in achieving the national objective.

Form F – 2
[See rule 4]

FISCAL POLICY STRATEGY STATEMENT

A : Fiscal Policy Overview: [This paragraph will present an overview of the fiscal policy currently in vogue.]

B : Fiscal policy for the ensuing financial year: [This paragraph shall have five sub-paragraphs dealing with –

(1) Tax Policy

In the sub-paragraph on tax policy, major changes proposed to be introduced in direct and indirect taxes in the ensuing financial year will be presented. It shall contain an assessment of income tax exemption limits and how far it relates to per capita income, principles regarding tax exemptions and target group for exemptions.

(2) Expenditure Policy

Under expenditure policy, major changes proposed in the allocation of expenditure shall be indicated. It shall also contain an assessment of principles regarding the benefits and target group of beneficiaries.

(3) Government Borrowings, Lending and Investments.

In this sub-paragraph on Government borrowings, the policy relating to internal debt, external debt, Government lending, investments and other

activities; including principles regarding average maturity structure, bunching of repayments, etc., shall be indicated.

(4) Contingent and other Liabilities.

Any change in the policy on contingent and other liabilities and in particular guarantees which have potential budgetary implications shall be indicated.

(5) Pricing of Administered Goods.

Any change proposed in the pricing of administered products, including the progress towards market-based principles shall be spelt out.]

C : Strategic priorities for the ensuing year:

[(1) Resource mobilization for the ensuing financial year through tax, non-tax and other receipts shall be spelt out.

(2) The broad principles underlying the expenditure management during the ensuing year shall be spelt out.

(3) Priorities relating to management of public debt proposed during the ensuing year shall be indicated.]

D : Rationale for Policy changes :

[(1) The rationale for policy changes consistent with the Medium Term Fiscal Policy Statement, in respect of direct and indirect taxes proposed in the ensuing Budget shall be spelt out.

(2) The rationale for major policy changes in respect of budgeted expenditure including expenditure on subsidies shall be indicated.

(3) Rationale for changes, if any, proposed in the management of the public debt shall be indicated.

(4) The need for changes, if any, proposed in respect of pricing of administered goods shall be spelt out.]

E : Targets for the ensuing year

[At the end of the second quarter, a mid-year assessment shall be made of the trends in receipts and expenditures and achievement of targets of deficit reduction in relation to Budget Estimates. In case the total non-debt receipts are less than 40 per cent of Budget Estimates for that year; ***or*** the fiscal deficit is higher than 45 per cent of the Budget Estimates for that

year; ***or*** the revenue deficit is higher than 45 per cent of the Budget Estimates for that year, the Central Government shall take action as required under sub-sections (2) and (3) of section 7.]

F: Policy Evaluation:

[This paragraph shall contain an evaluation of the changes proposed in the fiscal policy for the ensuing year with reference to fiscal deficit reduction and objectives set out in the medium term fiscal policy statement.]

Form F – 3
[See rule 4]

MACRO ECONOMIC FRAMEWORK STATEMENT

1. **Overview of the Economy:** [This paragraph shall contain a synoptic analysis of trends in growth rates, prices, output, external sector, money and capital markets. Information on key macro-economic indicators will be presented in the format appended.]

2. **GDP Growth:** [This paragraph shall contain an analysis of trends in overall GDP growth and its sectoral composition.]

3. **External Sector:** [Under this paragraph, trends in exports, imports, foreign exchange reserves, current account balance and balance of payments shall be presented.]

4. **Money, Banking and Capital Markets:** [This paragraph shall present an account of the trends in money supply, bank deposits and credit and developments in the capital market.]

5. **Central Government Finances:** [Under this paragraph an analysis of trends in revenue collections and expenditure shall be presented. Trends in important fiscal deficit and debt indicators shall also be presented. Trends in Central Government finances shall be presented in the format appended.]

6. Prospects: [Based on the trends in major sectors presented in the previous sections, an assessment shall be made regarding the growth prospects, along with the underlying assumptions.]

IndiaCode

F-3(Contd)
Macro Economic Framework Statement
Economic Performance at a Glance

		Absolute Value		Percentage Changes	
		April-Reporting period*		April-Reporting period*	
		Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year
	Real Sector				
1	GDP at factor cost				
(a)	at current price				
(b)	at 1993-94 price				
2	Index of Industrial Production				
3	Wholesale Price Index (point to point)				
4	Consumer Price Index				
5	Money Supply (M3)				
6	Imports at current prices				
(a)	In Rs. Crore				
(b)	In US $ million				
7	Exports at current prices				
(a)	In Rs. Crore				
(b)	In US $ million				
8	Trade Balance				
9	Foreign Exchange Assets				
(a)	In Rs. Crore				
(b)	In US $ million				
10	Current Account Balance				
	Government Finances				
1	Revenue Receipts				
2	Tax Revenue(Net)				
3	Non-Tax Revenue				
4	Capital Receipts(5+6+7)				
5	Recovery of loans				
6	Other Receipts				
7	Borrowings and other liabilities				
8	Total Receipts(1+4)				
9	Non-Plan Expenditure				
10	Revenue Account				
	Of which:				
11	Interest payments				
12	Capital Account				
13	Plan Expenditure				
14	Revenue Account				
15	Capital Account				
16	Total Expenditure(9+13)				
17	Revenue Expenditure (10+14)				
18	Capital Expenditure (12+15)				
19	Revenue Deficit (17-1)				
20	FiscalDeficit {16-(1+5+6)}				
21	Primary Deficit (20-11)				

*Data will relate to the period up to which information for the current year is available. To facilitate comparison, data of previous year corresponds to the same period of current year. Accordingly, reporting period may vary for different items.

IndiaCode

Form D – 1
[See rule 6]

TAX REVENUES RAISED BUT NOT REALISED
(principal taxes)

(As at the end of the reporting year)

		Amounts under dispute (Rs. crore)					Amounts not under dispute (Rs. crore)					Grand Total
Major Head	**Description**	Over 1 year but less than two years	Over 2 years but less than 5 years	Over 5 years but less than 10 years	Over 10 years	Total	Over 1 year but less than two years	Over 2 years but less than 5 years	Over 5 years but less than 10 years	Over 10 years	Total	
	Taxes on Income & Expenditure											
0020	Corporation Tax											
0021	Taxes on Income other than Corporation tax											
	Taxes on Commodities & Services											
0037	Customs											
0038	Union Excise											
0044	Service Tax											
	TOTAL											

IndiaCode

Note : Reporting year refers to the second year preceding the year for which the annual financial statement and demands for grants are presented.

2081 GI/04-6

Form D – 2
[See rule 6]

ARREARS OF NON-TAX REVENUE

(As at the end of the reporting year)

Description	**Amounts pending** (Rs. crore) 0-1 years 1-2 years 2-3 years above 5 years	Total
Fiscal Services		
Interest receipts *Of which* From State Governments and Union Territory Governments		
From Railways		
From Departmental Commercial Undertakings		
From Public Sector & other Undertakings		
Dividends and Profits		
General Services		
Police receipts		
Economic Services		
Petroleum Cess/Royalty		
Communications (License Fee) Receipts		
Other Receipts		
Total		

Note : Reporting year refers to the second year preceding the year for which the annual financial statement and demands for grants are presented.

IndiaCode

Form D-3
[See rule 6]

Guarantees given by the Government

Class (No. of Guarantees Within bracket)	Maximum Amount Guaranteed during the year (Rs. crore)	Outstanding at the beginning of the year (Rs. crore)	Additions during the year (Rs. crore)	Deletions (other than invoked) during the year (Rs. crore)
1	2	3	4	5

IndiaCode

Invoked during the year (Rs. crore)		Outstanding at the end of the year (Rs. crore)	Guarantee Commission or Fee (Rs. crore)		Other Material Details
Discharged	Not discharged		Receivable	Received	
6	7	8	9	10	11

Note: The year in the above table refers to the second year preceding the year for which the annual financial statement and demands for grants are presented.

Form D-4
[See rule 6]

ASSET REGISTER

	Assets at the beginning of the reporting year	Assets acquired during the reporting year	Cumulative total of assets at the end of the reporting year
	Cost (Rs.cr)	Cost (Rs.cr)	Cost (Rs.cr)
Physical assets: Land Building Office Residential Roads Bridges Irrigation Projects Power projects Other capital projects Machinery & Equipment Office Equipment Vehicles Total			
Financial assets: Equity Investment Shares Bonus shares Loans and advances Loans to State & UT Govts. Loans to Foreign Govts. Loans to companies Loans to others Other financial investments Total			

Notes:

1. Assets above the threshold value of Rupees two lakh only to be recorded.
2. This disclosure statement does not include assets of Cabinet Secretariat, Central Police Organizations, Ministry of Defence, Departments of Space and Atomic Energy.
3. Reporting year refers to the second year preceding the year for which the annual financial statement and demands for grants are presented.

[F. No. 7(3)-B(D)/2003]
M. PRASAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode